प्रेषक,

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष वरीयता

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
सी0टी0ई0 वाराणसी।

2. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।

3. समस्त प्राचार्य
निजी डी0एल0एड0/अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांक : गोप0/डी0एल0एड0 2026/3086-3159/2026-27 दिनांक : 17 अगस्त, 2026

विषय : **डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश सं0 1169/ अरसठ-4-2025-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 12.11.2025 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त में काउंसलिंग/प्रवेश की कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 07.08.2026 द्वारा काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों की मेरिट/स्टेट रैंक के सापेक्ष एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के क्रम में प्रशिक्षण संस्थान चरणबद्ध आवंटित किया जा रहा है। ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच एवं चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 में ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये शैक्षिक गुणांक के आधार पर उनकी मेरिट एवं स्टेट रैंक के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा उनकी मेरिट एवं भरे गये विकल्प के वरीयता क्रम में ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच और प्रवेश सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है-

PHASE- 1

क्र0 स0	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	11 अगस्त 2026 (सायं) से 13 अगस्त 2026 तक	रैंक 01 से 20,000 तक	14 अगस्त 2026	17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 सायं 06:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
02	14 अगस्त 2026 (सायं) से 18 अगस्त 2026 तक	रैंक 20,001 से 80,000 तक एवं (क्रम सं0 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो)	19 अगस्त 2026	
03	19 अगस्त 2026 (सायं) से 23 अगस्त 2026 तक	रैंक 80,001 से 1,52,202 तक एवं (क्रम सं0 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो)	24 अगस्त 2026	
04	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि			01 सितम्बर 2026

PHASE- 2

क्र0 स0	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	07.09.2026 (सायं) से 10.09.2026 तक	रैंक 01 से 1, 1,52,202 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश/आवंटन न पाने वालें उ0प्र0 राज्य के निवासी अभ्यर्थी	11 सितम्बर 2026	12 सितम्बर 2026 से 24 सितम्बर 2026 सायं 05:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
02	11.09.2026 (सायं) से 15.09.2026 तक	रैंक 01 से 1,52,202 तक के समस्त आवेदित अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो (समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त, आरक्षित श्रेणी (पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/ जनजाति/ विशेष आरक्षित श्रेणी) के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों पर परिवर्तित करते हुए	16 सितम्बर 2026	
03	**प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट– निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक नहीं किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा)**			25 सितम्बर 2026
04	**प्रशिक्षण प्रारम्भ**			28 सितम्बर 2026

2. उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही, प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थानों द्वारा **प्रथम फेज** में दिनांक 17 **अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 (सायं 06:00 बजे)** तक एवं **द्वितीय फेज में दिनांक** 12 सितम्बर 2026 से **24 सितम्बर 2026 (सायं 06:00 बजे)** सम्पादित करायी जायेगी।

3. प्रदेश के समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध College Login या https://updeled.gov.in/admin/adminlogin.aspx पर जाकर Login_id तथा Password की सहायता से अपने संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियो की सूची का अवलोकन कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवंटित अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन वेबसाइट के Alloted and Vaccant result ऑप्शन पर भी किया जा सकता है।

4. प्रदेश के समस्त संस्थानों (डायट/निजी संस्थान) को वेबसाइट updeled.gov.in पर प्रथम बार लॉगिन हेतु लॉगिन आईडी DLinst_Institute Code तथा पासवर्ड PrA_Institute Code होगा। उदाहरण के लिए यदि संस्थान का कोड 010200 तो उक्त संस्थान के लिए लॉगिन आईडी "**DLinst010200** तथा पासवर्ड " **PrA010200** "होगा।

5. उक्त लॉगिन आइर्ड डी तथा पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन करने के पश्चात् संस्थान के पंजीकृत मोबाइल नं0 व ई–मेल आईडी पर यूजर वेरीफिकेशन हेतु **OTP** प्राप्त होगा। प्राप्त **OTP** को वैरीफाई करने के उपरान्त संस्था द्वारा नवीन **Password** बनाना होगा। **Password** बनाये जाने के उपरान्त बनाये गये नवीन Password की मदद से ही, प्रशिक्षण संस्थान वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे।

6. **प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश को वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर प्रथम फेज मे दिनांक 01 सितम्बर 2026 तक तथा द्वितीय फेज में दिनांक 25 सितम्बर 2026 तक ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक करना अनिवार्य है।** अतः **ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://updeled.gov.in पर ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक नहीं किये जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा।** संस्था द्वारा लिये गये प्रवेश को ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक न किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे तथा उक्त प्रवेश अमान्य माना जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।
7. स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र/चरण में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में Allotment Fees रू0 5000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे अभिलेखीय जाँच/प्रवेश की पुष्टि (Confirmation) हेतु आवंटन सह पुष्टि पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में Confirmation Fees 5000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट कर सकेंगे।
8. अभिलेखों की जाँच के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन संस्था आवंटन पत्र (Allotment Letter) के साथ, डी0एल0एड0 2026 के ऑन लाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने पर एवं उनका नाम प्रशिक्षण संस्थान की लॉगिन में प्रदर्शित होने पर उनके अभिलेखों की जाँच सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच हेतु अभ्यर्थी के पास रू0 5,000 का भुगतान किये जाने के उपरान्त प्रिन्ट किये गये संस्था आवंटन पत्र का होना अनिवार्य है।
9. **वर्ष 2026 में स्नातक उत्तीर्ण** ऐसे अभ्यर्थी जो डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 एवं आगामी वर्षो में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश सं0 1169/ अरसठ-4-2025-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 12. 11.2025 द्वारा निर्धारित **शैक्षिक अर्हता एवं आयु सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करते हैं** वह **डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026** हेतु अर्ह माने जायेंगे।
10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 05.08.2026 के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नही होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 05.08.2026 तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। काउसंलिंग व प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय फेज में अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे अथवा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक सम्बन्धित राज्य सरकार से अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त राशन कार्ड, बैक पास बुक एवं अन्य संगत अभिलेखों की जाँच के उपरान्त प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखीय जाँच का अर्थ प्रवेश की सुनिशिच्तता नहीं है।
13. अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त यदि उनके Gender पुरूष/महिला एवं अन्य विवरण (प्राप्तांक/पूर्णांक को छोड़कर) में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है तो उनके वास्तविक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जाँच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।

14. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि उनके मूल अभिलेखो के अनुसार पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट अधिक है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण कम मेरिट अंकित किया गया है एवं अभ्यर्थी कम गुणांक के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु इच्छुक है तो अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।

15. अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक के सम्बन्ध में यदि अभ्यर्थी के मूल अभिलेखो में अंकित पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट कम है एवं उनके द्वारा ऑन लाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण अधिक मेरिट अंकित किया गया है तो अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में, सम्बन्धित अभ्यर्थी के वर्ग/श्रेणी में आवंटित अंतिम अभ्यर्थी के कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत अभ्यर्थी का गुणांक होने पर उन्हें प्रवेश हेतु सम्मिलित किया जा सकता है।

16. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभिलेखों की जॉच के साथ–साथ प्रवेश की कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु अभिलेखों की जॉच की तिथि से प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि का अवसर दिया जायेगा। निजी संस्थानों हेतु शासनादेश सं0 1441/15–11–2014 दिनांक 10.09.2014 के बिन्दु सं0 10 द्वारा **प्रतिवर्ष रू0 41000 (इकतालिस हजार मात्र)** तथा प्रदेश के डायट हेतु शासनादेश दिनांक 12.11.2015 द्वारा **रू0 10,200 (दस हजार दो सौ रूपये मात्र)** प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है।

17. अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से रू0 10,000/– (Allotment Fees रू0 5000 + Confirmation Fees रू0 5000) की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करा ली गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये रू0 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से **रू0 31000 (इकत्तीस हजार रू0 मात्र) एवं प्रदेश के डायट द्वारा रू0 200 (दो सौ रू0 मात्र)** अभ्यर्थियों से **प्रशिक्षण शुल्क** जमा कराये जायेंगे।

18. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच किये जाने एवं प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त लिये गये प्रवेश को निर्धारित अंतिम तिथि तक कॉलेज पोर्टल पर रिर्पोट किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के प्रवेश लॉक किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नं0 पर मैसेज प्राप्त होगा। अतः अभ्यर्थियों का उत्तरदायित्व होगा कि प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर लें एवं संस्थान द्वारा उनके प्रवेश को कॉलेज लॉगिन से रिर्पोट किये जाने से भली–भॉति संतुष्ट हो ले। निर्धारित अवधि तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण न किये जाने एवं संस्थान द्वारा प्रवेश लॉक न किये जाने पर अभ्यर्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी एवं संस्थान का होगा।

19. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक संस्था द्वारा ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक किये गये अर्ह अभ्यर्थी ही प्रवेशित माने जाएगा। अतः संस्था द्वारा ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक किये गये अभ्यर्थियों के आधार पर जनपदवार/संस्थावार प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची, कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, को प्रेषित की जाएगी। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि प्रेषित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का ही प्रशिक्षण मान्य करते हुए उक्त अभ्यर्थियों को ही इन्टर्नशिप हेतु अनुमन्य किया जाए।

20. सम्बन्धित प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निजी संस्थानों में आवंटित एवं निजी संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी, आवेदन, शैक्षिक अभिलेखो (निर्गत करने वाली संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय की मान्यता) इत्यादि की जॉच भली–भॉति कर ली जाय। किसी भी अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर तत्काल उसकी सूचना से सम्बन्धित निजी संस्थान को अवगत कराते हुए अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जाय, साथ ही सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी अनर्ह अभ्यर्थी के प्रवेश लिये जाने का सम्पूर्ण उत्तदायित्व प्रशिक्षण संस्थान एवं डायट का होगा।

21. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त समस्त डायट एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिर्पोट/लॉक किये गये प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी रू0 10,000 का शुल्क जो

संस्था आवंटन के पूर्व लिया गया था वह प्रशिक्षण संस्थान को सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अथवा एकांउट खाते में NEFT/RTGS द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

22. शासनादेश दिनांक 12.11.2025 के प्रस्तर **9 (ii)** के कॉलम 01 वाले डायट जनपदों के अभिलेखीय जाँच/प्रवेश/चयन की कार्यवाही कॉलम 02 वाले जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जायेगी।

23. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय अंकित प्रविष्टियों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करने के पश्चात् सही पाने की स्थिति में **मूल अभिलेख** तथा उनकी **दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियों** के सेट एवं निजी संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 10.09.2014 एवं राजकीय संस्थानों हेतु शासनादेश दिनांक 12.11.2025 द्वारा **निर्धारित फीस डिमांड ड्राफ्ट/सी0बी0एस0 द्वारा जमा करायी** जायेगी।

24. विगत प्रवेश वर्षो में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय संस्थानों द्वारा काउंसलिग/प्रवेश हेतु निर्धारित अवधि तक अभ्यर्थियों के लिए गये प्रवेश को वेबसाइट पर रिर्पोट नहीं किये जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य डायट द्वारा उक्त अप्रवेशित अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप पर भेजा गया है। जिसके आधार पर सम्बन्धित संस्थानों/अभ्यर्थियों द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के समय, परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन न खुलने पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं योजित की जाती है। जिससे विभाग को विषम परिस्थियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक फेज की काउसंलिग/प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त संस्थानों से प्रवेशित/रिर्पोट किये गये अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षणोपरान्त संस्थानों द्वारा रिर्पोट किये गये अभ्यर्थियों की सूची को प्रमाणित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।

25. यदि प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नही होते है तो सम्बन्धित कालेज में कांउसंलिग/प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में रिक्त सीटों के प्रति मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्था विकल्प के आधार पर प्रवेश हेतु अन्य अभ्यर्थी आवंटित किये जायेगें। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान वेवसाइट updeled.gov.in को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या इस प्रकार प्रदर्शित करते रहें, जिससे इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को प्रतिदिन होती रहे।

26. समस्त डायट एवं प्रशिक्षण संस्थान अभ्यर्थियों के चयन/प्रवेश की कार्यवाही करते हुए यह पुष्टि अवश्य कर लें कि प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 12.11.2025 तथा कार्यालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार अर्ह हो। कोई भी अनर्ह अभ्यर्थी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 में चयन/प्रवेश न लेने पाये। अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आदि को गहनता पूर्वक जाँच लिया जाये।

27. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चयनित अभ्यर्थी के ई–आवंटन पत्र एवं ई–आवेदन पत्रों की छायाप्रतियां उल्लिखित संलग्नकों सहित श्रेणीवार सेट बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

28. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों यथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्धता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा चयनोपरांत प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंकपत्रों/प्रमाण–पत्रों तथा अन्य प्रमाण–पत्रों का सत्यापन निर्गमन संस्था से अनिवार्य रूप से तत्काल करा लिया जाये।

29. एन0सी0टी0ई0 से डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा **अल्पसंख्यक संस्थान** घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा आवंटित सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष **50 प्रतिशत सीटों पर** शासनादेश सं0 1169/ अरसठ–4–2025–2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, दिनांक 12.11.2025 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 प्रवेश/चयन कार्यवाही हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति 29.07.2026 **द्वारा निर्धारित समय–सारिणी, शैक्षिक अर्हता एवं आयु के अनुसार तथा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी प्रदेश के**

डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारम्भ होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।"

30. अभिलेखीय जाँच/प्रवेश के समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाय –

- **शैक्षिक अर्हता** – डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षो में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/CBSE (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE (आई.सी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा** एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वय) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।**

  माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

  शासनादेश सं0 7/2016/720/15–7–2016 शिक्षा अनुभाग– 7, दिनांक 20.05.2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम–17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

  माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष अन्य बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्य की जाने वाली संस्थाओं की सूची संलग्न है। उक्त सूची का अवलोकन मा0शि0प0 की वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जा सकता है।

- **आयु** – आवेदन हेतु **अभ्यर्थी की आयु** जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जायेगा, उस वर्ष की **01 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष** से अधिक न हो। उदाहरण स्वरूप डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2025 हेतु अभ्यर्थी की आयु **01 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।** न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार "यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।", देय होगी।

- **निवास** – उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डी0एल0एड0 प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

  डी0एल0एड0 प्रवेश के अन्तर्गत अभिलेखीय जॉच/चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक

राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ।

- *अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्ही का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार्य नही किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन लिया जायेगा।* उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा।
- अभिलेखीय जॉंच के समय अभ्यर्थी को ई–आवंटन पत्र के साथ, डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2025 का ऑन लाइन आवेदन पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।
- **अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।**
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र एव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2026 में अभिलेखों की जॉंच एवं प्रवेश की कार्यवाही सभी जनपदों में निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण होना है। शासनादेश दिनांक 12.11.2025 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा उक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से प्रवेश की कार्यवाही पारदर्शिता तथा शुचितापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

संलग्नक : शासनादेश।

पृ0सं0/गोप0/डी0एल0एड0–2026/ 3086–3159 **/2026–27 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ सादर प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

17.8.26

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।